# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला दूदू

मु0नं0 :– 43/2023
निर्णय दिनांक :– 16.12.2024
बइजलास :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. गोपाल पुत्र धन्ना जाति बारागांव निवासी ग्राम चकवाडा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
2. नारायण पुत्र मु0 काना जाति बारागांव निवासी ग्राम चकवाडा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थी

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री प्रेमचन्द शर्मा वकील प्रार्थी
पैरोकार सरकार
प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती किये जाने तरमीम आबादी

निर्णय दिनांक :– 16.12.2024

1. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की आराजी खतौनी सं0 112 के आराजी खसरा नंम्बर 2278 रकबा 0.3035 हैक्टेयर, चाही1–0.2782 व बंजड़ डोल–0.0253 भूमि वाके ग्राम चकवाडा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान मे स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 2278 के लगवा प्रार्थीगण की पूर्वजों/सैटलमेन्ट से चली आ रही कब्जेकाश्त की भूमि जिसकी पर्चा सैटलमेन्ट के समय से ही नक्शा लट्ठा में तरमीम हो रखी थी, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के तहत की गयी नक्शा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शा ट्रेस मे नवीन तरमीम में प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2278 के लगवा पश्चिमी दिशा में स्थित सैटलमेन्ट के समय से ही चली आ रही कब्जें काश्त व स्वामित्व अधिकार की भूमि के चारों तरफ सैटलमेन्ट नक्शा लट्ठा में लाईन डली हुई थी उसको नवीन डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के तहत की गयी नक्शा शीट में खसरा नम्बर 2278 के लगवा स्थित प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की भूमि की एक तरफ की लाईन हटाकर अन्य खातेदार के खसरा नम्बर 2271 में मिला दिया गया है, जो गलत तरमीम है। नवीन डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत जारी नक्शा शीट व ऑनलाईन नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 2278 के लगवा पश्चिम दिशा में स्थित प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व स्वामित्व अधिकार की भूमि की एक तरफ की लाईन हटाने से व अन्य खातेदार के खसरा नम्बर 2271 में मिल जाने से प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त में चली आ रही भूमि को प्रार्थीगण से पडोसी खातेदारों द्वारा अपना हक जताकर हडप

सकते है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी पुश्तैनी काबिज भूमि से महरूम होना पडेगा तथा मन–मुटाव व विवाद उत्पन्न होगा इसलिए न्यायहित में पर्चा सेटलमेन्ट के समय जारी नक्शा लट्ठा के अनुसार नवीन नक्शा शीट में जो तरमीम की गई है उसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है तथा शुरू से हमारी कब्जेकाश्त में चली आ रही भूमि पर नवीन खसरा नम्बर अंकित किया जावें। जिससे प्रार्थीगण की कब्जे काश्त भूमि पर कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। डी.आई.एल.आर.एम.पी. अन्तर्गत की गई तरमीम में पटवारी हल्का ने कब्जेकाश्त प्रार्थीगण खातेदारों को सूचित नहीं किया तथा न ही किसी प्रकार की कोई सहमति ली गई। प्रार्थीगण को उक्त लाईन के हटने की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने तत्काल तहसीलदार फागी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संलग्न नक्शे में रंग से दर्शित किये गये स्थान पर सैटलमेन्ट नक्शा लट्ठा के अनुसार तरमीम यथावत बनाये रखने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन तहसीलदार महोदय फागी द्वारा उक्त कब्जे काश्त भूमि पर खसरा नम्बर अंकित नहीं होने के कारण तथा उक्त हटी हुई लाईन को वापिस डालते समय कम्प्यूटर ऑनलाईन सलेक्ट नहीं होने कारण श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हवाला देते हुए कहा इसलिए श्रीमान यह प्रार्थना पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। सैटलमेन्ट के समय जारी नक्शा लट्ठा के अनुसार तरमीम को शुद्ध किया जाकर प्रार्थीगण की काबिज भूमि पर नया खसरा नम्बर डाले जाने से किसी भी काश्तकारों के हितों पर विपरित प्रभाव नही पडेगा। क्योंकि उक्त कब्जेकाश्त की भूमि पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने तरमीम दुरूस्त करने बाबात प्रार्थना पत्र तहसीलदार महोदय फागी को दिनांक 03.12.2021 व दिनांक 02.12.2022 एवं दिनांक 10.04.2023 एवं श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय फागी में आपके समक्ष दिनांक 19.04.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके बावजूद भी तहसीलदार फागी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की उसके बाद प्रार्थीगण ने फिर से तहसीलदार के समक्ष दिनांक 23.05.2023 को तरमीम दुरूस्त का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उपर्युक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात भी तहसीलदार महोदय फागी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की और तहसीलदार महोदय फागी ने उक्त हटी हुई लाईन को वापिस डालते समय कम्पयूटर ऑनलाईन सलेक्ट नहीं होने का हवाला देकर न्यायायलय से कब्जेकाश्त की भूमि पर नवीन खसरा नम्बर डलवाने का आदेश लाने के पश्चात ही सैटलमेन्ट नक्शा लट्ठा के अनुसार डी.आई.एल.आर.एम.पी. की शीट व ऑनलाईन नक्शें में तरमीम दुरूस्त की जायेगी। इसलिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के तहत नक्शा शीट में की गयी विधि विरूद्ध तरमीम के आधार पर भविष्य में पडोसी काश्तकारों के मन में खोट उत्पन्न होने पर गलत तरमीम के आधार पर प्रार्थीगण को मौकके व कब्जे से बेदखल कर सकते है तथा शुरू से चली आ रही कब्जे काश्त की भूमि को अन्य



उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

लोगों के द्वारा हडपने से नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिससे प्रार्थीगण को अपने कब्जेकाश्त की पैतृक सम्पत्ति के हक–हकूकों से महरूम होना पड़ सकता है। इसलिए श्रीमान व्यर्थ में मुकदमें बाजी बढेगी तथा खर्चे से जेरबार होना पडेगा ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के हितों की रक्षार्थ मान्य न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्त व नवीन खसरा नम्बर अंकित किये जाने हेतु पटवारी नक्शा शीट, ऑनलाईन नक्शा शीट व सैटलमेन्ट नक्शा लट्ठा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण का निवास स्थान व विवादित आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब में बताया कि ग्राम चकवाडा की वर्तमान जमाबंदी 2076 (वर्ष 2020) से स्थायी के खाता सं. 112 के ख0नं0 2278 रकबा 0.3035 किस्म चाही–1 0.2782 बंजड डोल 0.0253 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता सं. 582 के आराजी खसरा नंबर 2271 रकबा 0.3288 किस्म गै0मु0 पाल दर्ज रिकार्ड है। आराजी ख0नं0 2278 के पश्चिम दिशा में लगवा एवं ख.नं. 2271 के उत्तरी दिशा में नक्शा फोटो प्रति नक्शा ट्रेस चकतराशि मौजा चकवाडा तहसील फागी जिला जयपुर राज. सन संवत अंकित नहीं है मे बिना खं.नं. की आकृति अंकित है परन्तु डी.आई.एल.आर.एम. पी. योजनार्गत वन टू वन मैप किया जाना आवश्यक था। इसलिए बिना खसरा नम्बर वाली आकृति (मौका पर पड़त) को ख.नं. 2271 किस्म गै0मु0 पाल के मध्य स्थित लाईन/रेखा को हटाकर वन टू वन मैप का कार्य किया गया। डी.आई.एल. आर.एम.पी. को डिजिटल शीट में ख.नं. 2278 की नक्शा आकृति का रकबा 0.3035 हैक्टेयर है जो जमाबंदी में दर्ज रकबा 0.3035 के बराबर है एवं ख.नं. 2271 की नक्शा आकृति का रकबा 0.40 हैक्टेयर है जो जमाबंदी मे दर्ज रकबा से 0.0712 हैक्टेयर अधिक है। डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजनान्तर्गत डिजिटल नक्शा में से कोई भी आकृति बिना खसरा नम्बर के तकनीकी कारणों से दर्ज नहीं रह सकती थी इसलिए बिना खसरा नम्बर वाली आकृति का नये खसरा नम्बर के अभाव में नजदीक एवं किस्म अनुसार अन्य खसरा में मिलान किया गया। फोटो प्रति नक्शा ट्रेस चकतराशि के समय से बिना खसरा नम्बर वाली आकृति वर्तमान में डोल/पाल के रूप मे पड़त है।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071 – 2074 वाके ग्राम चकवाडा के खाता सं0 112 में प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। मुताबिक नक्शा लटटा ट्रेस सैटलमेन्ट मे ख0न0 2271 व ख0न0 2278 के मध्य रेखा दर्ज हैं लेकिन वर्तमान नक्शाशीट मे ख0न0 2271 व ख0न0 2278 के मध्य कोई रेखा अंकित नही है संलग्न नक्शानुसार ख0न0

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

2278 की तरमीम के पास ख0न0 रिक्त है। तहसीलदार फागी ने अपने जबाब मे अंकन किया है कि डी0आई0एल0आर0एम0पी0 योजनान्तर्गत डिजिटल नक्शा मे कोई भी आकृति बिना खसरा नम्बर के तकनीकी कारणों से दर्ज नही रह सकती थी इसलिये बिना खसरा नम्बर वाली आकृति का नये खसरा नम्बर के अभाव मे नजदीक एवं हिस्सा अनुसार अन्य खसरा मे मिलान किया गया। संलग्न नक्शा व तहसीलदार फागी के जबाब मे भी ख0न0 2278 के पास ख0न0 रिक्त है तथा ख0न0 2271 मे मिलान कर दिया गया है। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

## आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम चकवाडा के खसरा नम्बर 2278 के लगवा पश्चिम दिशा की और रिक्त ख0न0 रकबा को ख0न0 2271 मे मिला दिया गया है जिसे निरस्त किया जाकर उसके स्थान पर सैटलमेन्ट नक्शा लट्ठा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार लाईन खीची जाकर नवीन खसरा नम्बर अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को सरे इजलास सुनाया जाता है

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी–जिला दूदू